



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)
NAAC Accreditation- "A" Grade

सुशील बी. पखीडे

SUSHIL B PAKHIDE

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

Assistant Registrar (Academic)

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

क्र.: 005/2018/IAIP/DAIP/2019/01 / 465

दिनांक : 17.06.2019

सूचना

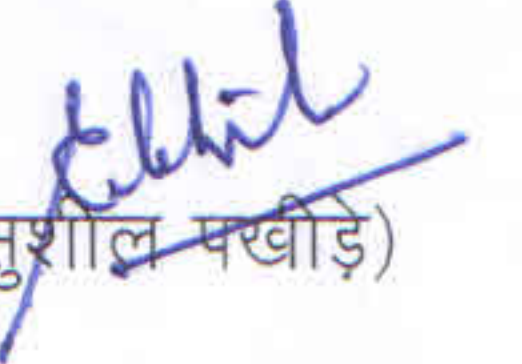
सभी विभागाध्यक्षों, केंद्र निदेशकों एवं प्रभारियों से अनुरोध है कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम, 2018 के बिंदु क्रमांक 05 (ग) (1) और (2) जो निम्नानुसार है, के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें -

5. (ग) उच्चतर शिक्षा संस्थान, निम्नलिखित कार्यों पर जोर देगा। HEI shall :

1. एक अनिवार्य पाठ्यक्रम कार्यविधि/माड्यूल के रूप में स्नातकपूर्व (यूजी)/स्नातकोत्तर (पीजी)/निष्णात डिग्री की पाठ्यवस्तु में अकादमिक सत्यनिष्ठा के आधारभूत सिद्धांतों को सम्मिलित करना। Include the cardinal principles of academic integrity in the curricula of Undergraduate (UG)/Postgraduate (PG)/Master's degree etc. as a compulsory course work/module.
2. निष्णात एवं शोधविशेषज्ञों के लिए अनिवार्य पाठ्यक्रम कार्यविधि/माड्यूल के रूप में शोध एवं प्रकाशन के दायित्वपूर्ण आचरण संबंधी मूल तत्वों को सम्मिलित करना। Include elements of responsible conduct of research and publication ethics as a compulsory course work/module for Masters and Research Scholars.

उक्त के आलोक में अकादमिक सत्यनिष्ठा के आधारभूत सिद्धांतों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या में अनिवार्य रूप से तथा शोध एवं प्रकाशन के दायित्वपूर्ण आचरण संबंधी मूल तत्वों को एम.फिल. तथा पी-एच.डी. की पाठ्यचर्या में शामिल कर उसे सक्षम निकाय के माध्यम से विद्या-परिषद की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

यह सूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है।


(सुशील पखीडे)

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

1. कुलपति कार्यालय।
2. कुलसचिव कार्यालय।
3. सभी विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक एवं प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के अनुरोध के साथ।
4. प्रभारी, अकादमिक विभाग।
5. सहायक कुलसचिव (अकादमिक)।
6. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
7. कार्यालय प्रति।